

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004
ई-मेल affil-he@mp.gov.in दूरभाष क्रमांक- 2554763

"website"

क्रमांक- 2012/466/आउशि/सम्बद्धता/20.
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 20/11/2020.

कुल सचिव/प्राचार्य,
संबंधित समस्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय,
(हेल्प सेंटर-एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश),
मध्यप्रदेश

विषय:-सत्र 2020-21 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया।

—00—

सत्र 2020-21 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2020-21 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) से विनियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन एवं प्रवेश स्थायी (Confirm) करने के संबंध में आने वाली कठिनाईयों के संबंध में आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष में दूरभाष क्रमांक 0755-2554572 पर परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

समस्त हेल्प सेंटरों द्वारा प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् 07 दिवस में बिन्दुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

"अपर-आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 2013/406/आउशि/सम्बद्धता/20,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक- 20 /11/2020.

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा म.प्र.।
2. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
5. कुलसचिव, समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य/संचालक, एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रम संचालन करने वाली समस्त संस्थाएँ, मध्यप्रदेश।
8. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाईन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र.।
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र. की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

.....की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.